पुलिस आदेश सं0 02 /2020

विषय :— राज्य पुलिस बल के पदाधिकारियों/कर्मियों(सिपाही से पुलिस निरीक्षक स्तर तक) को राज्य के बाहर बाह्य संस्थानों में प्रतिनियुक्ति के संबंध में।

राज्य पुलिस बल के पदाधिकारियों/कर्मियों को राज्य के बाहर बाह्य संस्थानों में प्रतिनियुक्ति के संबंध में समरूपता रखने के लिए एक नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसी क्रम में राज्य पुलिस बल में सिपाही से पुलिस निरीक्षक कोटि तक के पदाधिकारियों/कर्मियों को राज्य के बाहर बाह्य संस्थानों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने से संबंधित निम्न नीति/योग्यता को समरुपता से लागू करने का निर्णय लिया जाता है।

2. सर्वप्रथम बाह्य संस्थानों/सेवा में प्रतिनियुक्ति के संबंध में प्राप्त अनुरोधों को सभी संबंधित पुलिस जिलों/पुलिस कार्यालयों को यथासंभव परिचारित किया जाएगा। जिलों/पुलिस कार्यालयों के कार्यालय प्रधान इस पर सरकारी सेवक की सहमति के उपरांत निम्न अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता/कार्य अनुभव वाले पदाधिकारियों का मनोनयन सभी अपेक्षित सूचनाओं के साथ पुलिस मुख्यालय को संसूचित करेंगे:—

क्र0	पदनाम	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	कार्य अनुभव	सजा/दंड	मेडिकल फिटनेस	वा0गो0च0अ0
I	**सिपाही**	25—40 वर्ष	इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष	न्यूनतम 05 वर्ष	पिछले 05 वर्षो की स्वच्छ सेवा, बिना किसी वृहद सजा के	संस्थान, जहाँ प्रतिनियुक्त किया जाना है, द्वारा अपेक्षित	लागू नहीं
II	**हवलदार**	30—45 वर्ष	इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष	न्यूनतम 05 वर्ष	पिछले 05 वर्षो की स्वच्छ सेवा, बिना किसी वृहद सजा के	संस्थान, जहाँ प्रतिनियुक्त किया जाना है, द्वारा अपेक्षित	लागू नहीं
III	**सहायक अवर निरीक्षक**	35—50 वर्ष	इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष	न्यूनतम 03 वर्ष	पिछले 03 वर्षो की स्वच्छ सेवा, बिना किसी वृहद सजा के	संस्थान, जहाँ प्रतिनियुक्त किया जाना है, द्वारा अपेक्षित	पिछले पाँच वर्षो का बहुत अच्छा से कम नहीं होना चाहिए
IV	**अवर निरीक्षक**	30—45 वर्ष	स्नातक	न्यूनतम 05 वर्ष	पिछले 05 वर्षो की स्वच्छ सेवा, बिना किसी वृहद सजा के	संस्थान, जहाँ प्रतिनियुक्त किया जाना है, द्वारा अपेक्षित	पिछले पाँच वर्षो का बहुत अच्छा से कम नहीं होना चाहिए
V	**निरीक्षक**	35—50 वर्ष	स्नातक	न्यूनतम 05 वर्ष	पिछले 05 वर्षो की स्वच्छ सेवा, बिना किसी वृहद सजा के	संस्थान, जहाँ प्रतिनियुक्त किया जाना है, द्वारा अपेक्षित	पिछले पाँच वर्षो का बहुत अच्छा से कम नहीं होना चाहिए

3. इसके अतिरिक्त संबंधित कार्यालय प्रधान से अनुशंसा/मंतव्य/अनापत्ति बाह्य संस्थानों/सेवा में प्रतिनियुक्ति के लिए आवश्यक होगा।
4. यदि किसी जिला/इकाई/वाहिनी में किसी संवर्ग में कुल स्वीकृत पद के आधे से ज्यादा रिक्ति हो तो वहाँ से प्रतिनियुक्ति हेतु मनोनयन नहीं भेजा जाएगा।
5. एक बार में प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि 05 वर्षों की होगी, इसके बाद प्रतिनियुक्त किये गये संस्थानों/कार्यालयों द्वारा विनिर्धारित अवधि अथवा अधिकतम 07 वर्षों तक के लिए ही विस्तारित की जा सकती है।
6. कोई भी कर्मी/पदाधिकारी अपने पूरे सेवाकाल में अधिकतम 10 वर्षों तक ही बाह्य संस्थानों में राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति पर रह सकते हैं।
7. प्राप्त मनोनयन पर पुलिस मुख्यालय द्वारा सर्वप्रथम प्रतिनियुक्त किये जाने वाले कर्मियों/पदाधिकारियों का निगरानी विभाग से स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। तत्पश्चात कम उम्र एवं अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले पदाधिकारियों/कर्मियों को प्रतिनियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। चूंकि, राज्य के बाहर अराजपत्रित कर्मियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने का अधिकार सरकार के पास है। अतः प्रतिनियुक्ति हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा अनुशंसित पदाधिकारियों/ कर्मियों का मनोनयन अंतिम निर्णय हेतु सरकार को भेजा जाएगा। बाहय् सेवा प्रतिनियुक्ति के लिए बिहार सेवा संहिता के नियम–266, 267 एवं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या–602 दिनांक–20.03.2017 द्वारा विनिर्धारित प्रावधान पूर्णतः लागू रहेंगे।

इस पुलिस आदेश पर राज्य सरकार की सहमति संचिका संख्या–01–12–01–01–19/P2 में प्राप्त है।

29/1

(गुप्तेश्वर पाण्डेय)
पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना

ज्ञापांक– 370 **/पी0–2**
01–12–01–01–2019
पुलिस मुख्यालय का कार्यालय, बिहार, पटना।

दिनांक– 29.01.2020

प्रतिलिपि :–

1. सभी पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. अवर सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. सभी पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप–महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/ सभी प्राचार्य/ सभी समादेष्टा, बिहार (रेल इकाई सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

29/1

(गुप्तेश्वर पाण्डेय)
पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना